न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल

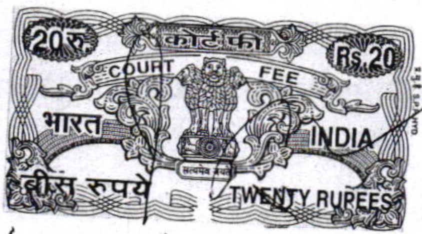

श्री प्रमोद गौर/ को.मा.सं. PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/4889

रामगोपाल चौहान आयु 56 वर्ष आ. स्व. दामोदर प्रसाद
निवासी वार्ड क्र. 22 भगतसिंह नगर, नाला मोहल्ला
इटारसी, तह. इटारसी जिला होशंगाबाद, हाल निवास
वार्ड नं. 34 गायत्री मंदिर के पीछे 12 बंगला
इटारसी, तह. इटारसी जिला होशंगाबाद--पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

श्रीमति आशा बस्तरवार पत्नि सुशील बस्तरवार आयु 35 वर्ष
निवासी एमआई. 10 न्यास कालोनी इटारसी,
जिला होशंगाबाद कथित सचिव दलित शिक्षण संस्था,
हरिजन छात्रावास, नाला मोहल्ला इटारसी,
तह. इटारसी जिला होशंगाबाद--उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय इटारसी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 25अ/06 वर्ष 2015–16 ग्राम मेहरागांव में पारित आदेश दिनांक 29.10.2016 के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा/17/4889 (शम्भूगोपाल / आशा)

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-7-18	आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री आर0पी0यादव एवं अनावेदक अधिवक्ता श्री हनीफ खान उपस्थित । उन्हें समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन व ग्राहयता पर सुना गया । अधीनस्थ तहसील न्यायालय के अंतरिम आदेश दि.29-10-2016 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष दि.28-11-17 को एक वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दिनांक 29-10-2016 के बाद की कार्यवाहियों में तहसील न्यायालय में आवेदक उपस्थित रहे हैं। अत: एक वर्ष का विलम्ब औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता । आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने से एवं तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश दिनांक 24-11-2017 को पारित कर दिये जाने से अब इस निगरानी की सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है । अत: यह निगरानी समय बाहय प्रस्तुत होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	Noted (हनीफ खान) 31/7/18